

न्यायालय: लोक अदालत (तालुका विधिक सेवा समिति) केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.3.2022

अवार्ड (पंचाट)

किशनगोपाल

बनाम

नेता

प्रार्थी :- किशनगोपाल पुत्र नेता नि. केकड़ी अप्रार्थी :- नेता पुत्र ऊँकार नि. केकड़ी

प्रकरण संख्या53..... सन्2005.....

न्यायालयउपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर.....

रुबरू होकर

1. श्री युवराज सिंह

सदस्य, लोक अदालत बैंच (तालुका विधिक सेवा समिति) केकड़ी

(न्यायिक अधिकारी)

2. श्री विकास पंचोली

सदस्य, लोक अदालत बैंच

(उपखण्ड अधिकारी)

यह प्रार्थना पत्र (परिवाद) हमारे समक्ष आज दिनांक 12.3.2022 को प्रार्थी/ प्रार्थिन (नाम). किशनगोपाल पुत्र नेता निवासी केकड़ी अप्रार्थी (नाम) नेता पुत्र ऊँकार नि. केकड़ी की मौजूदगी में समझाईश हेतु रखा गया जिसमें समझौता कराने के प्रयास के उपरान्त पक्षकारान के मध्य राजीनामा/ समझौता निम्न प्रकार से किया गया:-

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। पत्रावली पूर्व दिनांक 26.8.2011 से बटवारा प्रस्ताव मे निहीत है पक्षकारान ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण मे पक्षकारान लोक अदालत कि भावन से अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते अतः वादी का दावा खारिज फरमाया जावे। अतः वादी का दावा खारिज किया जाता है।

हमारे हस्ताक्षरों से यह पंचाट आज दिनांक12.3.2022..... को प्रदत्त किया गया।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला-अजमेर

